जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम

बनाम

रघुपति राघवन एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या 1035/2008)

01 जुलाई, 2015

(अनिल आर. दवे एवं दीपक मिश्रा, न्यायाधिपतिगण)

जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम अधिनियम, 1961 - धारा 3(1), 16, 21 - जमाकर्ताओ द्वारा बैंकिंग कम्पनियों के साथ धन जमा - बैंक वित्तीय कठिनाईयों में - निगम की जिम्मेदारी - प्रत्येक जमाकर्ता के संबंध में बीमा की गई राशि एक लाख रूपये मात्र थी, सभी जमाकर्ताओं को बैंक में जमा की गई पूरी राशि का भुगतान नहीं किया जा सका - कुछ जमाकर्ताओं द्वारा रिट याचिका दायर की गई एवं अाधिकारिक परिसमापक से एक लाख से अधिक की राशि के भुगतान की अपेक्षा की - एकल न्यायाधीश द्वारा विशेष अधिकारी को जमाकर्ताओं द्वारा जमा राशि उपार्जित ब्याज सहित भुगतान के निर्देश - उक्त याचिकाओं का निपटारा प्रवेश स्तर पर किया गया। यहां तक कि अधिकारिक परिसमापक की ओर से जवाब दाखिल करने से पहले - आधिकारिक परिसमापक के साथ बैंक के विशेष

अधिकारी द्वारा रिट अपील - उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित की वह राशि जो आधिकारिक परिसमापक के पास थी, जमाकर्ताओं के बीच वितरित की जानी चाहिए और निगम को कोई तरजीही अधिकार नहीं था - अपील पर निर्धारित: उच्च न्यायालय या अन्य किसी प्राधिकरण के पास अधिनियम एवं विनियमों के वैधानिक प्रावधानों की अनदेखी कर एक लाख रूपये से अधिक के सीधे भुगतान के निर्देश की शक्ति नहीं - उच्च न्यायालय ने आधिकारिक परिसमापक को उक्त निर्देश देने में अपनी अधिकारिता को पार कर लिया - इस प्रकार नीचे की अदालतों द्वारा पारित आदेश अपास्त - आधिकारिक परिसमापक एवं विशेष अधिकारी वैधानिक प्रावधानों के अनुसरण में कार्य करें - जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम सामान्य विनियम, 1961 - नियम 22

न्यायालय द्वारा अपीलों का निपटारा करते हुए अभिनिर्धारित किया गया :

1.1 जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम अधिनियम की धारा 16(1) के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक जमाकर्ता के संबंध में एक लाख रूपये की राशि का बीमा या गारंटी है। इसलिए एक जमाकर्ता सुरक्षित है और उसे अपने जमा से हाथ नहीं धोना पड़ेगा, यदि उसकी जमा राशि एक लाख रूपये से कम है। आधिकारिक परिसमापक को अधिनियम के प्रावधानों के

अनुसार जमाकर्ताओं और उनके द्वारा जमा की गई राशि का विवरण एक विहित प्रारूप में परिसमापन आदेश पारित होने की दिनांक से तीन माह के भीतर देना होगा या फिर जिस दिन से वह कार्यभार संभालता है, जो भी बाद में हो और निगम में विवरण पेश किए जाने की दिनांक से 2 माह के भीतर निगम को जमाकर्ताओं को सीधा या आधिकारिक परिसमापक के जरिए उपरोक्त सीमा तक भुगतान करना होगा। इस प्रकार, योजना के अनुसार प्रत्येक मूल याचिकाकर्ता सहित प्रत्येक जमाकर्ता को आधिकारिक परिसमापक से एक लाख रूपये प्राप्त होने चाहिए। शुरूआत में, बैंक बंद कराने का आदेश दिए जाने पर, जमाकर्ताओं को आधिकारिक परिसमापक से एक लाख रूपये या जमा राशि जो भी कम था, प्राप्त करने का अधिकार था तथा जब याचिका दायर की गई थी, तब उक्त राशि का भुगतान किया जाना चाहिए था। [पैरा 20, 21] [134-डी-एच; 135-ए]

1.2 प्रत्येक जमाकर्ता को उपरोक्त सीमा तक भुगतान किए जाने के बाद, यदि आधिकारिक परिसमापक के पास कोई राशि निपटान बाबत उपलब्ध है, जिसे उसने उधारकर्ताओं से या अन्य स्त्रोतों से वसूल किया होगा, तो उसे उक्त राशि का भुगतान करना होगा, जिसकी राशि का भुगतान निगम द्वारा अधिनियम की धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार किया गया था। जब निगम ने अधिनियम के तहत बीमा योजना के अनुसार जमाकर्ताओं को भुगतान किया था, तो निगम को धारा 21 के तहत

अधिकार प्राप्त होता है कि वह आधिकारिक परिसमापक से पैसा प्राप्त करे। इस प्रकार धारा 21 के खंड 2 (ए) के अनुसार, आधिकारिक परिसमापक को निगम को राशि चुकानी होगी। धारा 21 न केवल निगम को उक्त राशि चुकाने के लिए आधिकारिक परिसमापक को बाध्य करती है, बल्कि यह भी स्पष्ट करती है कि कोई अन्य अधिमान्य लेनदार नहीं होगा जो आधिकारिक परिसमापक से राशि प्राप्त करेगा, जब तक कि धारा 21 के तहत निगम को देय भुगतान किया जाता है। जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम सामान्य विनियम, 1961 के विनियम 22 में यह भी प्रावधान है कि विनियमों में निर्धारित परिसमापन कार्यवाही और लाभांश की घोषणा के संबंध में खर्चों के लिए आवश्यक प्रावधान के बाद आधिकारिक परिसमापक को निगम को भुगतान करना होगा। [पैरा 22-25, 28] [135-बी-सी; 136-बी-ई; 137-ई-एफ]

1.3 उच्च न्यायालय को ऐसा निर्देश नहीं देना चाहिए था, जिसका अनुपालन करने पर यह अधिनियम में शामिल वैधानिक प्रावधानों के विपरित होगा। अगर कोई पूरे मुद्दें को अलग-अलग नजरिए से भी देखे, तो भी कोई यह मानेगा कि सभी जमाकर्ताओं को कमोबेश समान अधिकार प्राप्त हैं। यदि जमा राशि एक लाख रूपये से कम है, तो प्रत्येक जमाकर्ता को पूरी राशि मिलती है, लेकिन यदि जमा राशि एक लाख रूपये से अधिक है, तो एक लाख रूपये मात्र से अधिक की राशि जमाकर्ता को नहीं दी जा

सकती है, जब तक कि परिसमापन में चल रहे बैंक के पास पर्याप्त धनराशि ना हो, जिसे परिसमापन की कार्यवाही में व्यय प्रदान करने और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निगम को राशि चुकाने के बाद आनुपातिक आधार पर सभी को दिया जा सकता है। यह अधिनियम एक तरह से प्रत्येक जमाकर्ता को एक लाख रूपये के पुनर्भुगतान की गारंटी देता है। उच्च न्यायालय या अन्य किसी प्राधिकारी को अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए विनियमों की अनदेखी करते हुए एक लाख रूपये से अधिक सीधे भुगतान का निर्देश देने की कोई शक्ति नहीं है। परिसमापन में चल रहे बैंक के आधिकारिक परिसमापक और विशेष अधिकारी को एक निर्देश देते समय उच्च न्यायालय द्वारा अपनी अधिकारिता का अतिलंघन किया गया, जिसके तहत उन्होंने निगम को भुगतान करने के बजाए जमाकर्ताओं को जो राशि अदा नहीं हुई, को भुगतान करने का निर्देश दिया गया, जो कि वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है और इसलिए एकल न्यायाधीश और डिवीजन बैंच के निर्णय एवं आदेश को अपास्त किया गया और आधिकारिक परिसमापक और विशेष अधिकारी को वैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य करने का निर्देश दिया गया। [पैरा 29-31] [137-जी-एच; 138-ए-ई]

1.4 2009 की अपील संख्या 1116 और इसी तरह के मामले एक अंतरिम चरण में दायर किए गए और इसलिए उक्त अपीलों का निपटारा

उच्च न्यायालय को उसके समक्ष लंबित मामलों पर निर्णय लेने के निर्देश के साथ किया जाता है। अन्य सभी अपीलों में एकल न्यायाधीश के समक्ष पक्षकारों के बीच कुछ समझौता हुआ था, जिसे डिवीजन बैंच के समक्ष चुनौती दी गई। डिवीजन बैंच ने उक्त आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पक्षकारों ने समझौता किया था और मामला एकल न्यायाधीश को वापिस भेज दिया गया। उक्त अपीलें खारिज की जाती है। [पैरा 33, 34] [138-जी; 139-ए-बी]

सिविल अपीलीय क्षैत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 1035/2008

मद्रास उच्च न्यायालय, मदुरै बेंच द्वारा खंडपीठ की रिट की अपील संख्या 261/2006 में पारित अंतिम निर्णय व आदेश दिनांक 20.11.2006 से।

साथ

सिविल अपील संख्या 1116, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1934, 1935/2009

सिविल अपील संख्या 5333, 5334, 5335, 5336, 5337-5339/2012

जयन्त भूषण एवं जयदीप गुप्ता, कुलदीप एस. परिहार, एच.एस.परिहार, पूनीत जैन, चिश्ती जैन, छाया कफ्रीति, प्रतिभा जैन, सी.एस.एन.राव, संथाना कृष्णन, ए.रमेश, के.एन.राय, जी.शिवबालामुरूगन, अनीश मोहम्मद, एल.के.पांडे, एडीएन राव, ए.वेंकटेश, सुदीप्तों सीरकर, वैशाली आर., मंशा बी मोंगा, नीलम जैन, वी.जी.प्रगासम, अंकित लाल, मिश्रा सौरभ, टी.वी.रत्नम, सी.के.सुचरिता पक्षकारों की और से उपस्थित।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति अनिल आर दवे,जे. द्वारा पारित किया गया :

1. मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ द्वारा 2006 की रिट अपील संख्या 261 में दिए गए 20 नवंबर, 2006 के फैसले को मुख्य अपील में चुनौती दी गई है। सुविधा के लिए, हमने इन सभी अपीलों में शामिल सामान्य मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए मुख्य मामले के तथ्यों पर विचार किया है।

2. अपीलकर्ता, जिसने इस न्यायालय से संपर्क किया है, उच्च न्यायालय के समक्ष मुकदमों में एक पक्ष नहीं था, लेकिन विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार इस न्यायालय से संपर्क करने के लिए बाध्य किया गया है कि उपरोक्त रिट अपील में न्यायालय अपीलकर्ता पर प्रतिकूल प्रभाव

डालता है और इसलिए, अपीलकर्ता ने पूर्वोक्त निर्णय के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर करने की अनुमति के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया था। वर्तमान अपीलकर्ता को अनुमति दी गई थी और इसलिए, यह अपील।

3. अपीलकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (इसके बाद 'निगम' के रूप में संदर्भित) है। निगम का कार्य जमाकर्ताओं द्वारा बैंकिंग कंपनियों में की गई जमा राशि का बीमा करना है और उक्त निगम का गठन जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 3 (1) के प्रावधानों के तहत किया गया है। (जिसे आगे 'अधिनियम' से सम्बोधित किया जाएगा) यह अधिनियम बहुत प्रशंसनीय उद्देश्य से बनाया गया था। आम तौर पर एक व्यक्ति सहकारी बैंकों सहित बैंकिंग कंपनियों में अपनी बचत जमा करता है या बचत बैंक खाते या सावधि जमा के माध्यम से अपना पैसा निवेश करता है, बैंक की वित्तीय स्थिति का पता लगाने के बारे में ज्यादा परवाह किए बिना, संभवतः उसके द्वारा जताए गए भरोसे के कारण, भारतीय रिज़र्व बैंक में जो देश में बैंकिंग व्यवसाय को नियंत्रित करता है।

4. बैंकिंग कंपनी के सामने आने वाली किसी भी वित्तीय कठिनाई की स्थिति में, जमाकर्ताओं को आम तौर पर अपनी जमा राशि की बड़ी राशि

खोनी होगी, चाहे वह किसी भी रूप में हो, क्योंकि आम तौर पर समापन की कार्यवाही के अंत में, असुरक्षित लेनदारों को बहुत कम राशि मिलती है। इसलिए ऐसे छोटे जमाकर्ताओं या निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए, जिन्होंने बैंकिंग कंपनियों के साथ अपना धन जमा किया है, जमाकर्ताओं द्वारा जमा की गई राशि का बीमा करने और ऐसे निवेशकों को कुछ राशि के पुनर्भुगतान की गारंटी देने के लिए अधिनियम बनाया गया था, जब बैंकिंग कंपनी वित्तीय कठिनाई में है और अंततः समाप्त हो गया है।

5. वर्तमान मामले में, हमारा संबंध थेनी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड से है, जो मुख्य रूप से तमिलनाडु के जिला थेनी में अपना बैंकिंग व्यवसाय करता है। उपरोक्त बैंक, जिसे 1 जुलाई, 1980 को निगम के साथ एक बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकृत किया गया था, वित्तीय कठिनाइयों में था और इसलिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत बैंकिंग व्यवसाय करने का उसका लाइसेंस 23 मई, 2002 को रद्द कर दिया था। हालाँकि, लाइसेंस रद्द करने के उक्त आदेश को 7 जून, 2002 के एक आदेश द्वारा छह महीने की अवधि के लिए स्थगित रखा गया था।

6. अंततः उक्त बैंक अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर सका और इसलिए 24 दिसंबर, 2002 को सहकारी समितियों थेनी के संयुक्त रजिस्ट्रार

को परिसमापन कार्यवाही को पूरा करने के लिए आधिकारिक परिसमापक के रूप में नियुक्त किया गया था।

7. जैसा कि ऊपर कहा गया है, उक्त बैंक का निगम द्वारा बीमा किया गया था और इसलिए, आधिकारिक परिसमापक ने अधिनियम की धारा 17 के प्रावधानों के अनुसार जमाकर्ताओं आदि की एक दावा सूची तैयार की और उसे 21 मई 2003 को निगम को भेज दिया।

8. चूंकि निगम ने बैंक का बीमा किया था, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, निगम ने 3,26,87,846.12 रुपये की राशि जारी करके जमाकर्ताओं के वैधानिक दावों का निपटान किया, और इस प्रकार प्रत्येक जमाकर्ता को अधिकतम राशि अदा की गई। इस प्रकार अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के तहत निगम जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, निगम द्वारा आधिकारिक परिसमापक के माध्यम से भुगतान किया गया था।

9. यह ध्यान रखना उचित है कि निगम सभी जमाकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई पूरी राशि का बीमा नहीं करता है। अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार, प्रासंगिक समय में उक्त बैंक के प्रत्येक जमाकर्ता के संबंध में बीमा की गई राशि 1 लाख रुपये थी और इसलिए, प्रत्येक

जमाकर्ता को जमा राशि या रुपये की राशि का भुगतान किया गया था 1 लाख, जो भी कम हो।

10. यद्यपि निगम द्वारा पूर्वोक्त राशि जारी कर दी गई थी, सभी जमाकर्ताओं को बैंक में जमा की गई पूरी राशि का भुगतान नहीं किया जा सका क्योंकि प्रत्येक जमाकर्ता के संबंध में बीमा राशि केवल 1 लाख रुपये थी, इसलिए, जिन लोगों ने बैंक में एक लाख रुपये से अधिक जमा किया था, उन्हें उस सीमा तक राशि का भुगतान नहीं किया गया था, जहां तक उनकी जमा राशि 1 लाख रुपये से अधिक थी।

11. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, कुछ जमाकर्ताओं द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ में 2005 की रिट याचिका संख्या 6768 और 7372 दायर की गई थी, जिसमें प्रार्थना की गई थी कि उनकी सावधि जमा पर उन्हें सहकारी समितियों के संयुक्त रजिस्ट्रार द्वारा बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाए, जिन्हें आधिकारिक परिसमापक के रूप में नियुक्त किया गया था। उक्त याचिकाओं में, पूर्वोक्त अधिकारी, यानी आधिकारिक परिसमापक के साथ-साथ विशेष अधिकारी, थेनी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड को प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया था। संबंधित पक्षों को सुनने के बाद, 27 जुलाई, 2005 के एक आदेश द्वारा, विद्वान एकल न्यायाधीश ने विशेष अधिकारी को निर्देश दिया कि वह

जमाकर्ताओं द्वारा जमा की गई राशि का भुगतान उस पर अर्जित ब्याज के साथ प्रतिलिपि प्राप्त होने की तारीख से 8 सप्ताह के भीतर करें। उक्त आदेश विशेष पदाधिकारी द्वारा दिया गया है। उक्त आदेश को पढ़ने पर, ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त याचिकाओं का निपटारा प्रवेश स्तर पर और आधिकारिक परिसमापक की ओर से कोई जवाब दाखिल करने से पहले ही कर दिया गया था।

12. जैसा भी हो, उक्त आदेश को उत्तरदाताओं द्वारा 2006 की रिट अपील संख्या 261 दायर करके चुनौती दी गई थी। अपील की सुनवाई के समय, आधिकारिक परिसमापक की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था कि 24 दिसंबर, 2002 को बैंक को बंद करने का आदेश दिया गया था और एक आधिकारिक परिसमापक नियुक्त किया गया था, जिसने निगम से प्राप्त राशि का वितरण किया था। उच्च न्यायालय के समक्ष यह भी प्रस्तुत किया गया था कि निगम से प्राप्त राशि के वितरण पर, आधिकारिक परिसमापक के निपटान में शेष राशि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निगम को वापस की जानी थी क्योंकि निगम की प्राथमिकता थी जमाकर्ताओं के दावे पर, जिन्हें निगम से पहले ही 1 लाख रुपये मिल चुके थे। अंततः विद्वान वकील को सुनने के बाद, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि निगम के पास कोई अधिमान्य अधिकार नहीं था और जो राशि आधिकारिक परिसमापक के पास थी, उसे

जमाकर्ताओं के बीच वितरित किया जाना चाहिए था। आधिकारिक परिसमापक के साथ-साथ विशेष अधिकारी को एक विशेष अवधि के भीतर उक्त निर्देशों को पूरा करने का निर्देश दिया गया था और इस प्रकार रिट अपील का निपटारा कर दिया गया था।

13. निगम उच्च न्यायालय के समक्ष एक पक्ष नहीं था, लेकिन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में अन्य जमाकर्ताओं की तुलना में प्राथमिकता में राशि वापस पाने का निगम का अधिकार आक्षेपित निर्णय के आधार पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ था और इसलिए, निगम ने विशेष अनुमति याचिका दायर की जो अब इस अपील में परिवर्तित हो गई है। ये वे परिस्थितियाँ हैं जिनमें यह अपील सुनवाई के लिए हमारे सामने रखी गई है।

14. निगम के विद्वान वकील के अनुसार, उच्च न्यायालय द्वारा अपील में विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए निर्देश अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत हैं। विद्वान वकील ने हमें अधिनियम के प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 16, 17, 21 और 22 के प्रावधानों और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के बारे में बताया, ताकि निगम के मामले को प्रभावी ढंग से स्थापित किया जा सके। निगम द्वारा जमाकर्ताओं को उस सीमा तक भुगतान करने के बाद, जिस

सीमा तक जमा की गारंटी दी गई थी, अधिशेष को अधिनियम की धारा 21 के प्रावधान के अधीन निगम के निपटान में डाल दिया जाना चाहिए। जब तक निगम को उक्त अधिशेष का भुगतान नहीं किया जाता है, अधिनियम की धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार समापन व्यय, लाभांश का भुगतान करने के प्रावधानों के अधीन, जमाकर्ताओं को कोई और राशि नहीं दी जा सकती है। उस स्तर पर जमाकर्ताओं को कोई भी भुगतान अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होगा और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के आधार पर, आधिकारिक परिसमापक को अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत कार्य करने का निर्देश दिया गया था।

15. विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करने से पहले अधिनियम के किसी भी प्रावधान या बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों पर विचार नहीं किया। उनके अनुसार, एक बार प्रत्येक जमाकर्ता को जमा राशि या 1 लाख रुपये, जो भी कम हो, का भुगतान किया जाता है, बैंक के आधिकारिक परिसमापक को अधिनियम की धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार निगम को राशि देनी चाहिए थी। उपरोक्त कानूनी स्थिति को देखते हुए, उच्च न्यायालय ने आधिकारिक परिसमापक को यह निर्देश देकर गलती की कि उसके पास जो राशि है, उसे जमाकर्ताओं के बीच वितरित किया जाना चाहिए। ऐसा करना योजना और अधिनियम की भावना के

बिल्कुल विपरीत होगा। विद्वान वकील ने उस उद्देश्य के बारे में बताया था जिसके साथ अधिनियम बनाया गया था और निगम की स्थापना की गई थी, जिसे यहां ऊपर बताया गया है।

16. दूसरी ओर, जमाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया था कि यह आधिकारिक परिसमापक का कर्तव्य था कि वह अपने पास मौजूद राशि को जमाकर्ताओं के बीच वितरित करे जैसा कि दिवाला/परिसमापन कार्यवाही में किया जाता है। उनके अनुसार, निगम ने उस राशि का भुगतान कर दिया है जिसे उसने भुगतान करने की गारंटी दी थी, उसे आधिकारिक परिसमापक से कोई भी राशि प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि बैंक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निगम को प्रीमियम का भुगतान कर रहा था और इसलिए, जमाकर्ताओं के बीच गारंटीकृत राशि का वितरण करना निगम का कर्तव्य था। उक्त राशि का भुगतान करने के बाद, निगम को आधिकारिक परिसमापक या विशेष अधिकारी से किसी भी प्रकार की राशि प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था।

17. हमने विद्वान वकील को विस्तार से सुना है और उनके द्वारा संदर्भित कुछ निर्णयों और अधिनियम और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों पर भी विचार किया है।

18. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनने और मामले के तथ्यों को देखने पर, हमारा विचार है कि यह अपील स्वीकार किए जाने योग्य है। हम इस तथ्य पर ध्यान देते हैं कि 2005 की रिट याचिका संख्या 6768 और 2005 की 7372 को अंतिम रूप से प्रवेश स्तर पर निपटाया गया था। उक्त याचिकाओं में, वर्तमान अपीलकर्ता निगम को एक पक्ष नहीं बनाया गया था, हालांकि विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष यह कहा गया था कि अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों के अनुसार, आधिकारिक परिसमापक को निगम को भुगतान करना होगा। उक्त प्रस्तुतीकरण के मद्देनजर, हमारी राय में, यह बेहतर होता यदि निगम को प्रतिवादियों में से एक के रूप में शामिल किया गया होता। उस स्थिति में, निगम का रुख और अधिनियम के प्रावधानों को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा विस्तार से जाना जा सकता था।

19. जो भी हो, अब हम उच्च न्यायालय द्वारा बैंक के आधिकारिक परिसमापक और विशेष अधिकारी को दिए गए एक निर्देश से चिंतित हैं, जिसके तहत उन्होंने निगम को इसका भुगतान करने के बजाय जमाकर्ताओं को जो राशि अदा नहीं हुई, का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

20. जिस उद्देश्य से यह अधिनियम बनाया गया है, वह ऊपर संक्षेप में बताया गया है। इसका उद्देश्य जमाकर्ताओं का बीमा करना था ताकि उन्हें संबंधित बैंक में जमा किए गए प्रत्येक पैसे के लिए आधिकारिक परिसमापक के सामने कतार में खड़ा न होना पड़े। आज तक, अधिनियम की धारा 16(1) के प्रावधानों के अनुसार , प्रत्येक जमाकर्ता के संबंध में 1 लाख रुपये की राशि का बीमा या गारंटी दी जा रही है, इसलिए एक जमाकर्ता सुरक्षित है और यदि उसके द्वारा जमा की गई राशि 1 लाख रुपये से कम है तो उसे अपनी जमा राशि से हाथ नहीं धोना पड़ेगा। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, आधिकारिक परिसमापक को जमाकर्ताओं और उनके द्वारा जमा की गई राशि के बारे में एक निर्धारित प्रपत्र में उस तारीख से तीन महीने के भीतर विवरण देना होगा जिस दिन परिसमापन आदेश पारित किया जाता है या जिस दिन वह लेता है। शुल्क, जो भी बाद में हो और निगम को विवरण जमा करने की तारीख से दो महीने के भीतर, निगम को उपरोक्त सीमा तक या तो जमाकर्ताओं को सीधे या आधिकारिक परिसमापक के माध्यम से भुगतान करना होगा।

21. इस प्रकार, उपर्युक्त योजना के अनुसार, प्रत्येक मूल याचिकाकर्ता सहित प्रत्येक जमाकर्ता को आधिकारिक परिसमापक से 1 लाख रुपये प्राप्त होने चाहिए। प्रारंभ में, बैंक को बंद करने का आदेश दिए जाने पर, मूल याचिकाकर्ताओं और अन्य जमाकर्ताओं को आधिकारिक परिसमापक से 1

लाख रुपये या जमा की गई राशि, जो भी कम हो, वसूल करने का अधिकार था और जब याचिकाएँ दायर की गईं तो उन्हें उक्त राशि का भुगतान किया जाना चाहिए था।

22. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक जमाकर्ता को उपरोक्त सीमा तक भुगतान किए जाने के बाद, यदि आधिकारिक परिसमापक के निपटान में कोई राशि उपलब्ध है, जिसे उसने उधारकर्ताओं से या अन्य स्रोतों से वसूल किया होगा, तो उसने अधिनियम की धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार उक्त राशि का भुगतान उस सीमा तक करना जिस सीमा तक निगम द्वारा राशि का भुगतान किया गया था। अधिनियम की धारा 21 इस प्रकार है:-

> "21.(1) जहां धारा 17 या धारा 18 के तहत कोई राशि का भुगतान किया गया है या धारा 20 के तहत कोई प्रावधान किया गया है, निगम परिसमापक या बीमाकृत बैंक या हस्तांतरिती बैंक को, जैसा भी मामला हो, इस प्रकार भुगतान की गई या प्रदान की गई राशि के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करेगा।

(2) उपधारा (1) के अंतर्गत सूचना प्राप्त होने पर, तत्समय लागू किसी भी अन्य कानून में किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, -

(ए) परिसमापक, ऐसे समय के भीतर और ऐसे तरीके से, जो निर्धारित किया जा सकता है, किसी भी जमा के संबंध में उसके द्वारा देय राशि, यदि कोई हो, में से निगम को भुगतान की गई या प्रदान की गई राशि को चुकाएगा। उस जमा के संबंध में निगम द्वारा;

(बी) बीमाकृत बैंक या, जैसा भी मामला हो, अंतरिती बैंक, ऐसे समय के भीतर और ऐसे तरीके से, जो निर्धारित किया जा सकता है, भुगतान की जाने वाली या जमा की जाने वाली राशि, यदि कोई हो, में से निगम को चुकाएगा। धारा 18 में निर्दिष्ट योजना के लागू होने की तारीख के बाद किसी भी जमा के संबंध में, ऐसी राशि या रकम जो उस जमा के संबंध में निगम द्वारा भुगतान की गई या प्रदान की गई राशि बनाती है।

23. यह ध्यान रखना उचित है कि जब निगम ने अधिनियम के तहत बीमा योजना के अनुसार जमाकर्ताओं को भुगतान किया था, तो

निगम को आधिकारिक परिसमापक से धन प्राप्त करने के लिए अधिनियम की पूर्वोक्त धारा 21 के तहत अधिकार मिलता है।

24. किसी को धारा 21 की उपधारा (2) को देखना होगा, जो स्पष्ट शब्दों में, आधिकारिक परिसमापक को निगम को भुगतान करने का निर्देश देती है जैसा कि उक्त उपधारा में कहा गया है, किसी भी विपरीत बात के बावजूद फिलहाल लागू किसी अन्य कानून में निहित है। इस प्रकार अधिनियम की धारा 21 के खंड 2(ए) के अनुसार, आधिकारिक परिसमापक को निगम को राशि चुकानी होगी।

25. उपरोक्त धारा 21 न केवल आधिकारिक परिसमापक की ओर से निगम को उक्त राशि चुकाने को अनिवार्य बनाती है, बल्कि यह भी स्पष्ट करती है कि कोई अन्य अधिमान्य लेनदार नहीं होगा जो आधिकारिक परिसमापक से कोई राशि प्राप्त करेगा। जब तक अधिनियम की धारा 21 के तहत देय राशि का भुगतान निगम को नहीं किया जाता है।

26. उपरोक्त स्पष्ट कानूनी स्थिति के मद्देनजर, हमारी राय में, उच्च न्यायालय सही नहीं था जब उसने आधिकारिक परिसमापक को उपरोक्त वैधानिक प्रावधान की अनदेखी करके भुगतान का तरीका निर्धारित करने का निर्देश दिया।

27. निगम का प्रतिनिधित्व विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष नहीं किया गया था, लेकिन कम से कम डिवीजन बेंच के समक्ष, आधिकारिक परिसमापक के लिए उपस्थित विद्वान वकील ने अधिनियम के पूर्वोक्त कानूनी प्रावधानों की ओर पीठ का ध्यान आकर्षित किया था। इसके अलावा, जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम सामान्य विनियम, 1961 (इसके बाद 'विनियम' के रूप में संदर्भित) के विनियमन 22 के प्रावधानों को भी विद्वान वकील द्वारा संदर्भित किया गया था। उक्त विनियम 22 इस प्रकार है:

> "22. अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (2) के तहत निगम को चुकाई जाने वाली राशि का भुगतान समय-समय पर किया जाएगा, -
>
> (ए) परिसमापक को जैसे ही उसके हाथ में प्राप्तियां और अन्य रकमें, उस समय तक देय खर्चों का प्रावधान करने के बाद, उसे कम से कम एक पैसे का लाभांश घोषित करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त हैं। प्रत्येक जमाकर्ता को रुपये में।
>
> (बी) बीमाकृत बैंक या अंतरिती बैंक, जैसा भी मामला हो, जैसे ही उसके हाथों में ऐसी वसूली या अन्य रकम के संबंध

में उस समय तक देय खर्चों का प्रावधान करने के बाद, उसके हाथों में वसूली और अन्य रकम आती है। यह अधिनियम की धारा 18 में निर्दिष्ट योजना के लागू होने की तारीख के बाद प्रत्येक जमाकर्ता के संबंध में रुपये में कम से कम एक पैसे की राशि का भुगतान या क्रेडिट करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त है।

28. उपरोक्त विनियम 22 में यह भी प्रावधान है कि आधिकारिक परिसमापक, विनियमों में निर्धारित परिसमापन कार्यवाही और लाभांश की घोषणा के संबंध में खर्चों के लिए आवश्यक प्रावधान करने के बाद, निगम को भुगतान करना होगा।

29. उपरोक्त वैधानिक कानूनी प्रावधान के मद्देनजर, हमारी राय में, उच्च न्यायालय को वह निर्देश नहीं देना चाहिए था, जिसका अनुपालन होने पर, अधिनियम में शामिल वैधानिक प्रावधानों के विपरीत होगा।

30. अगर कोई पूरे मुद्दे को अलग-अलग दृष्टिकोण से भी देखे, तो भी कोई यह मानेगा कि सभी जमाकर्ताओं को कमोबेश समान अधिकार प्राप्त हैं। यदि जमा राशि 1 लाख रुपये से कम है, तो प्रत्येक जमाकर्ता को पूरी राशि मिलती है, लेकिन यदि जमा राशि 1 लाख रुपये से अधिक है, तो केवल 1 लाख रुपये से अधिक की राशि नहीं दी जा सकती है।

जमाकर्ता, जब तक कि परिसमापन में चल रहे बैंक के पास पर्याप्त धनराशि न हो, जिसे परिसमापन कार्यवाही में व्यय प्रदान करने और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निगम को राशि चुकाने के बाद आनुपातिक आधार पर सभी को दिया जा सकता है। यह अधिनियम एक तरह से प्रत्येक जमाकर्ता को 1 लाख रुपये के पुनर्भुगतान की गारंटी देता है। उच्च न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी को अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए विनियमों की अनदेखी करके 1 लाख रुपये से अधिक के भुगतान का निर्देश देने की कोई शक्ति नहीं है।

31. उपरोक्त कारण से, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने आधिकारिक परिसमापक को निर्देश देते समय अपने अधिकारिता का अतिलंघन किया था, जो वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है और इसलिए, हम दिए गए निर्णय और आदेश को रद्द करते हैं। विद्वान एकल न्यायाधीश और डिवीजन बेंच द्वारा भी और आधिकारिक परिसमापक और विशेष अधिकारी को वैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य करने का निर्देश दिया गया।

32. तदनुसार, खर्चे के संबंध में बिना किसी आदेश के अपील स्वीकार की जाती है।

सिविल अपील संख्या 1116, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1934 और 1935/2009

33. जहां तक 2009 की अपील संख्या 1116 और इसी तरह के मामलों का संबंध है, हम इस तथ्य को दर्ज करते हैं कि उन्हें एक अंतरिम चरण में दायर किया गया है और इसलिए, उक्त अपीलों का निपटारा उच्च न्यायालय को मामलों पर निर्णय लेने के निर्देश के साथ किया जाता है। , जो यहां ऊपर दिए गए कानून के आलोक में इसके समक्ष लंबित हैं।

सिविल अपील संख्या 5333, 5334, 5335, 5336 और 5337-5339/2012

34. सभी पूर्वोक्त अपीलों में, विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष पक्षों के बीच कुछ समझौता हुआ था, लेकिन उसे डिवीजन बेंच के समक्ष चुनौती दी गई थी। डिवीजन बेंच ने उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसके तहत वादियों ने समझौता कर लिया था और मामले को विद्वान एकल न्यायाधीश को भेज दिया गया था। हम उपरोक्त अपीलों को खारिज करते हैं क्योंकि मामले विद्वान एकल न्यायाधीश को भेज दिए गए हैं। हालाँकि, हम निर्देश देते हैं कि वर्तमान अपीलकर्ता को विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष एक पक्ष-प्रतिवादी के रूप में शामिल किया जाएगा ताकि अधिनियम के

प्रावधानों पर विचार करने और वर्तमान अपीलकर्ता को सुनने के बाद सभी रिट याचिकाओं पर नए सिरे से निर्णय लिया जा सके।

35. इस प्रकार खर्चों के संबंध में बिना किसी आदेश के अपीलों का निपटारा कर दिया जाता है।

अपील अस्वीकार की।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्रीमती मधु हिसारिया (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है। अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।